



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि० / सा०प्र० / 2026 / 419

दिनांक : 07.09.2026

शुद्धि पत्र

एतद्वारा आदेशानुसार विश्वविद्यालय के नियमित एवं स्ववित्तपोषित विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापनों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं० 01/2026, 02/2026 एवं 03/2026 दिनांक 20 जुलाई 2026 में सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रासंगिक विषयों (Relevant Subjects) को पात्रता के रूप में सम्मिलित करते हुए अर्हता में यथास्थान संशोधन कर दिया गया है।
2. विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं० 06/2026 दिनांक 17 अगस्त 2026 द्वारा फार्मसी विभाग (स्ववित्तपोषित) में संविदान्तर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निर्गत विज्ञापन में शिक्षकों की अर्हता एवं अनुभव पी०सी०आई० द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 08 अगस्त 2022 के अनुरूप संशोधित किया जाता है।
3. विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं० 06/2026 दिनांक 17 अगस्त 2026 द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (स्ववित्तपोषित) में निदेशक पद की आयु सीमा का निर्धारण ए०आई०सी०टी०ई० के मानकों के अनुरूप संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे। संशोधित अर्हता, अनुभव एवं आयुसीमा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rmlau.ac.in पर देखा जा सकता है।
जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है, उनके द्वारा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

कुलसचिव

दिनांक : 07.09.2026

पत्रांक: लो०अ०वि० / सा०प्र० / 2026 / 419

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. संपादक/संवाददाता, दैनिक जागरण (All UP Edition)/इण्डियन एक्सप्रेस (Lucknow & Delhi, All UP Edition) को उक्त शुद्धिपत्र को 8 सेमी० X 5 सेमी० साइज (2 कालम में) दिनांक 08.09.2026 को प्रकाशित किए जाने हेतु।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/समन्वयक/निदेशक/कुलानुशासक/मीडिया प्रभारी/निदेशक, आरएसी, विश्वविद्यालय परिसर।
3. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय।
4. प्रोग्रामर, ईडीपी को उक्त शुद्धिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
5. निजी सचिव कुलपति को, मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
6. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी।
7. पत्रावलीं

कुलसचिव